रजिस्ट्री सं० डीएल-33004/97

REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 102] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 12, 1997/फाल्गुन 21, 1918
No. 102] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 12, 1997/PHALGUNA 21, 1918

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 1997

सं. 12/197-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन. टी.)

सा. का. नि. 145 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (दूसरा संशोधन) नियम, 1997 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 53 के परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह और कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मुख्य आयुक्त, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, किसी विनिर्माता को ऐसे माल के संबंध में, ऐसी रीति में और ऐसे अन्तराल पर तथा ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, प्रविष्टियां करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा।"

[फा. सं. 213/38/94-सी. एक्स-6]

आई. पी. लाल, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 1997

NO. 12/97-CENTRAL EXCISES (N.T.)

G.S.R. 145(E).—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excises Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 1944, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Excise (2nd Amendment) Rules, 1997.

(2) They shall come into force on the date of their Publication in the Official Gazette.

2. In rule 53 of the Central Excise Rules, 1944, after the proviso, the following proviso shall be added, namely :—

"Provided further that the Chief Commissioner of Central Excise may allow by, general or special order, a manufacturer, to make entries in respect of such goods, in such manner, at such interval, and subject to such conditions and limitations, as may be specified by the Central Board of Excise and Customs."

[F. No. 213/38/94-CX.6]

I. P. LAL, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997